



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 12, 2016/चैत्र 23, 1938

No. 263]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 12, 2016/ CHAITRA 23, 1938

**महिला और बाल विकास मंत्रालय****अधिसूचना**

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2016

**सा.का.नि.416 (ब).-** केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की धारा 39 की धारा 2 के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक गर्भवती स्त्री और स्तनपान कराने वाली माता के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 के खंड (ख) के अधीन उपबंधित प्रसूति फायदा हकदारी को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं-** इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) अभिप्रेत है;

(ख) "इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना" से उक्त अधिनियम की धारा 4 के खंड (ख) के अधीन बनाई गई केन्द्रीय सरकार की स्कीम अभिप्रेत है जिसके अधीन 6000 रुपए का मातृत्व फायदा उन गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं, जो पहले दो जीवित जन्मों के लिए 19 वर्ष की आयु से कम नहीं हैं, को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका वर्तमान में देश के 53 महत्वाकांक्षी जिलों पर विस्तार है,

(ग) "एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम" से केन्द्रीय सरकार की निम्नलिखित के लिए स्कीम अभिप्रेत है:

(i) 0-6 वर्ष के आयु समूह में बालकों की पोषणकारी और स्वास्थ्य प्रास्थिति का सुधार करना;

- (ii) बालक का उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए आधारशिला रखना;
- (iii) मृत्युदर, रुग्णता, कुपोषण और विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थी के भार के आपतन को कम करना
- (iv) बाल विकास का संवर्धन करने के लिए विभिन्न विभागों में नीति का प्रभावी समन्वयन और कार्यान्वयन प्राप्त करना; और
- (v) उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बालकों के सामान्य स्वास्थ्य और पोषणकारी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए माताओं की क्षमताओं में वृद्धि करना।
- (घ) "मातृ बाल संरक्षण कार्ड" से महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक संयुक्त कार्ड अभिप्रेत है जो एक व्यापक बहुप्रयोजनीय कार्ड है जिसमें पूर्वोक्त मंत्रालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई बालकों और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य के उपयोग तथा पोषण सेवाओं संबंधी जानकारी का उपबंध होता है;
- (ङ.) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;
- (च) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

**3. प्रसूति फायदे के लिए पात्र फायदाग्राही-** (1) प्रत्येक गर्भवती स्त्री और स्तनपान कराने वाली माता जो 19 वर्ष से कम है, पहले दो जीवित जन्मों के लिए अपने स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं का पोषण करने के लिए कम से कम छह हजार रुपए के प्रसूति फायदे के लिए हकदार होंगे।

(2) प्रसूति फायदा केन्द्र सरकार की इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अधीन प्रदान किया जाएगा।

**4. फायदाग्राहियों का रजिस्ट्रीकरण-** प्रसूति फायदा ऐसी गर्भवती स्त्री और स्तनपान कराने वाली माता को प्रदान किया जाएगा जो एकीकृत बाल विकास स्कीम के अधीन स्थापित आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्वयं को रजिस्टर कराती हैं।

**5. प्रसूति फायदे का संवितरण-**(1) प्रसूति फायदा सीधे फायदाग्राही के बैंक या डाकघर खाते में संबद्ध राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा संवितरित किया जाएगा और नकद या चैक के माध्यम से किसी प्रसूति फायदे का संवितरण नहीं होगा।

(2) सभी संव्यवहार महालेखा नियंत्रक वित्त मंत्रालय द्वारा विकसित लोक वित्तीय प्रबंध प्रणाली के माध्यम से राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा किए जाएंगे।

(3) एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अधीन संरचना को फायदाग्राहियों के बैंक या डाकघर खाते में प्रसूति फायदे को अंतरित करने के लिए प्लेटफार्म के रूप में प्रयोग किया जाएगा।

**6. किस्तों की संख्या-** प्रसूति फायदा कतिपय स्वास्थ्य और पोषण शर्तों के पूरा किए जाने पर प्रत्येक तीन हजार रुपए की दो समान किस्तों में प्रदान किया जाएगा, जिसके ब्यौरे निम्नलिखित सारणी के (घ) में दिए गए हैं-

#### सारणी

| नकद रूप में अंतरण                     | शर्तें  | रकम (रुपए में) |
|---------------------------------------|---|----------------|
| पहली किस्त (तीसरी तिमाही में)         | (i) आंगनवाड़ी केन्द्र या स्वास्थ्य केन्द्रों में अधिमानतः गर्भावस्था के चार मास के भीतर गर्भावस्था का रजिस्ट्रीकरण<br>(ii) कम से कम प्रसव पूर्व दो जांच और आयरन, फोलिक एसिड की गोलियां तथा टेटनस टॉक्साइड देना  | 3,000 रुपए     |
| दूसरी किस्त (प्रसव के पश्चात् छह मास) | (i) बालक का जन्म रजिस्ट्रीकृत है<br>(ii) बालक ने बेसिलस केलमेटे गुएरियन, डिप्थीरिया पेरट्यूसिस टेटनस I, II, और III तथा तीन ऑरल पोलियो वैक्सीन खुराक<br>(iii) प्रसव से तीन मास के भीतर कम से कम तीन विकास मानीटरी और शिशु तथा किशोर बाल पोषण परामर्श सत्रों में उपस्थिति;<br>और<br>(iv) छह मास तक अनन्य स्तनपान और माता द्वारा यथा प्रमाणित अनुपूरक पोषण का आरंभ | 3,000 रुपए     |

**7. लागत बंटवारा-** इस अधिनियम के अधीन मातृत्व फायदा उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार सामान्य प्रवर्ग के राज्यों को कुल लागत का साठ प्रतिशत हिस्सा, आठ पूर्वोत्तर राज्यों और तीन हिमालय राज्यों को कुल लागत का नब्बे प्रतिशत तथा संघ राज्य प्रशासनों को शत प्रतिशत उपलब्ध कराएगी। राज्यों के विस्तृत प्रवर्गीकरण नीचे दिए गए हैं –

(क) साधारण प्रवर्ग राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल सम्मिलित हैं;

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम सम्मिलित हैं तथा हिमालय राज्यों में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सम्मिलित हैं

(ग) संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दमण और दीव, दादरा और नागर हवेली, दिल्ली, लक्षदीप और पुदुच्चेरी संघ राज्यक्षेत्र सम्मिलित हैं।

**8. सत्यापन के साधन-** मातृ और बाल संरक्षण कार्ड इन नियमों के अधीन प्रसूती फायदा का लाभ लेने के लिए फायदाग्राहियों का प्राथमिक सत्यता साधन होगा।

**9. प्रवर्तन और अभिलेखों का रखरखाव-** (1) राज्य सरकार संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन नियम 6 में दी गई शर्तों के पूरा किए जाने पर फायदाग्राही के खाते में प्रसूती फायदे की समय पर किस्तों के निर्गमन को सुनिश्चित करेगा।

(2) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार फायदाग्राहियों के उचित अभिलेख बनाए रखेगा।

**10. नियमों का किसी स्कीम के अल्पीकरण में न होना** –इन नियमों के उपबंध केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वित किसी विद्यमान स्कीम के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में।

[फा.सं. आईजी-17/42/2015-जीएमएसवाई]

रश्मी सक्सेना साहनी, संयुक्त सचिव,

## MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2016

**G.S.R. 416 (E).** – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (b) of sub-section (2) of Section 39 of the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013), the Central Government, in consultation with the State Governments, hereby makes the following rules to regulate the maternity benefit entitlement provided under clause (b) of Section 4 of the said Act for every pregnant woman and lactating mother, namely:-

**1. Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Indira Gandhi Matritva Sahyog Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013);

(b) “Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana” means the scheme of the Central Government made under clause (b) of Section 4 of the said Act under which maternity benefit of six thousand rupees shall be provided to pregnant women and lactating mothers who are not less than nineteen years of age for first two live births, which presently extended to fifty three pilot districts across the country.

(c) “Integrated Child Development Services Scheme” means the scheme of the Central Government:

(i) to improve the nutritional and health status of children in the age-group of 0-6 years;

(ii) to lay the foundation for proper psychological, physical and social development of the child;

(iii) to reduce the incidence of mortality, morbidity, malnutrition and school dropouts;

(iv) to achieve effective co-ordination of policy and implementation among the various departments to promote child development; and

(v) to enhance the capability of the mothers to look after the normal health and nutritional needs of the children through proper nutrition and health education.

- (d) “Mother Child Protection Card” means a joint card of the Ministry of Women and Child Development and Ministry of Health and Family Welfare which is a comprehensive multipurpose card which provides information on utilization of health and nutrition services for children and women provided by aforesaid Ministries;
- (e) “section” means section of the Act;
- (f) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

**3. Beneficiaries entitled to maternity benefit.** – (1) Every pregnant woman and lactating mother who are not less than nineteen years of age shall be entitled to maternity benefit of not less than six thousand rupees to support their health and nutrition needs for the first two live births.

(2) The maternity benefit shall be provided under the Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana of the Central Government.

**4. Registration of beneficiaries.** - The maternity benefit shall be given to the pregnant woman and lactating mother who register themselves at anganwadi centres set up under Integrated Child Development Services Scheme.

**5. Disbursement of the maternity benefit.** – (1) The maternity benefit shall be disbursed by the concerned State Governments or Union territory Administrations to the bank or post office account of the beneficiary directly and there shall be no disbursement of maternity benefit in cash or through cheque.

(2) All transactions shall be carried out by State Governments or Union territory Administrations through the Public Financial Management System developed by the Controller General of Accounts, Ministry of Finance.

(3) The structure existing under Integrated Child Development Services shall be used as the platform for transferring the maternity benefit to the bank or post office account of the beneficiaries.

**6. Number of installments.** - The maternity benefit shall be provided in two equal installments of three thousand rupees each upon fulfilment of certain health and nutrition conditions, the details of which are given in (d) in the following table, namely:-

**Table**

| <b>Cash Transfer</b>                            | <b>Conditions</b>   | <b>Amount<br/>(In Rs.)</b> |
|---|---|----------------------------|
| First installment<br>(in third trimester)       | (i) Registration of Pregnancy at Anganwadi Center or health centres preferably within fourth month of pregnancy, and<br>(ii) At least two Antenatal Check ups and taken Iron Folic Acid tablets and Tetanus Toxoid.   | Rs.3,000                   |
| Second installment<br>(6 months after delivery) | (i) The birth of the child is registered;<br>(ii) The child has received Bacillus Calmette Guerin, Diphtheria Pertusis Tetanus I, II and III and three Oral Polio Vaccine doses;<br>(iii) Attended at least three growth monitoring and Infant and Young Child Feeding counselling sessions within three months from delivery; and<br>(iv) Exclusive breastfeeding for six months and introduction of complimentary feeding as certified by the mother. | Rs. 3,000                  |

**7. Cost sharing.** - To provide the maternity benefit under the Act, the Central Government shall provide sixty per cent share of the total cost to general category States, ninety per cent share of the total cost to eight north-eastern States and three Himalayan States and hundred per cent to Union territory Administrations. Detailed categorisation of States is given below –

- (a) The General Category States includes Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh; and West Bengal;

(b) North-Eastern States includes Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura and Sikkim and Himalayan States includes Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand;

(c) Union territory Administrations includes Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli, Delhi, Lakshadweep and Puducherry.

**8. Verification Tool.** – The Mother Child Protection Card shall be the primary verification tool for the beneficiaries to avail maternity benefit under these rules.

**9. Enforcement and maintenance of records.** - (1) The State Governments or Union territory Administrations shall ensure timely release of installments of maternity benefit to beneficiaries' account upon fulfilment of conditions given in rule 6.

(2) The State Governments or Union territory Administrations shall maintain proper records of the beneficiaries as per the Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana guidelines.

**10. Rules not in derogation of any Scheme.** - The provisions of these rules shall be in addition to and not in derogation of any existing Scheme implemented by the Central Government.

[F. No. IG-17/42/2015-IGMSY]

RASHMI SAXENA SAHNI, Jt. Secy.